राजस्थान सरकार

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 80 / 2019

वादीगणः—

1. मोहनलाल पुत्र श्री सेजाराम
2. विशनाराम पुत्र श्री सेजाराम
3. अर्जुनराम पुत्र श्री सेजाराम
4. चेतनराम पुत्र श्री सेजाराम
5. दुर्गा पुत्री श्री सेजाराम
6. सुरती पत्नी श्री सेजाराम
   सभी जातियान सुथार निवासी बड़ाबास चेराई
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. खुमाराम पुत्र श्री पेमाराम
3. भंवरलाल पुत्र श्री पेमाराम
4. डुंगरराम पुत्र श्री पेमाराम
5. रेवतराम पुत्र श्री जगुराम
6. पपूराम पुत्र श्री जगुराम
7. खेताराम पुत्र श्री जगुराम
8. जमना पुत्री श्री जगुराम
9. अणची पुत्री श्री जगुराम
10. उगमो पुत्री श्री जगुराम
11. कमला पुत्री श्री जगुराम
12. मोनी पत्नी श्री जगुराम
    सभी जाति सुथार निवासी बड़ाबास चेराई
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत्

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

उपस्थित –

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय।

–::निर्णय::–

दिनांक 15/2/2020

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रेकर्ड दुरस्ती का इस आशय का पेश किया कि ग्राम हरीओमनगर पटवार हल्का एकलखोरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 2514 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता पति के नाम की संयुक्त खातेदारी की हुई है। वादीगण के पिता, पति का स्वर्गवास हो चुका है। उपर्युक्त खसरान की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 11 तक की खातेदारी की है तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता व पति सेजाराम दो नामों से जाने जाते थे। घरेलू बोलचाल का नाम जेराम था तथा बाहरी बोलचाल का नाम सेजाराम था दोनों नाम वादीगण के पिता व पति के ही है दो नामों का अलग–अलग व्यक्ति नहीं था। राजस्व रेकर्ड ग्राम हरिओमनगर की जमाबन्दी में बोलचाल का नाम जेराम पि. पदमाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है तथा ग्राम हरिओमनगर की अन्य भूमि व ग्राम एकलखोरी, रामनगर, झरिया, बड़ाबास के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सही नाम बाहरी बोलचाल का नाम सेजाराम पि. पदमाराम दर्ज है। इसलिए ग्राम हरिओमनगर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के आ.गे पिता व पति का गलत नाम जेराम के स्थान पर सही नाम रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज अनुसार सेजाराम दर्ज कर खातेदार घोषित करवाने के लिए यह दावा पेश है। जमाबन्दिया, तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड अन्य सही नाम के दस्तावेजों की प्रतिया साथ पेश है। उक्त ग्राम हरिओमनगर की खसरा नम्बर 2514 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता व पति का घरेलु बोलचाल का गलत नाम जेराम दर्ज होने के कारण उक्त खसरान की भूमि का विभाजन करने,

Scanned by CamScanner

खातेदारी म्युटेशन दर्ज करवाने में, भूमि सम्बन्धी विकास कार्य व अन्य किसी तरह की कार्यवाही करने में कठिनाईयां होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता व पति का नाम जेराम के स्थान पर सेजाराम नाम की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करने हेतु यह वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 31.07.2019 को राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नाम शुद्ध करने की सलाह लेने बमुकाम ग्राम हरिओमनगर में उत्पन्न हुआ जो बिनाय दावा आज भी निरन्तर विद्यमान है तथा दावा अन्दर म्याद पेश है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिओमनगर पटवार हल्का एकलखोरी में खेत खसरा नम्बर 2514 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा, में वादी के पिता जेराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर सही नाम सेजाराम पुत्र पदमाराम के नाम खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 12 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहे न्यायालय समय में तीन बार रुक–रुक कर आवाज लगाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 12 की ओर से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नहीं आये, अतः प्रतिवादी संख्या 2 से 12 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार ओसियां ने इकबालिया जवाब पेश किये जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार ओसियां ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम हरिओमनगर के खसरा नम्बर 2514 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा की चालु जमाबन्दी में वादीगण के पिता, पति का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में जेराम पि. पदमाराम दर्ज है। प्रार्थीगण/वादीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, में पिता, पति का नाम सही नाम सेजाराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी व अन्य स्वयं के दस्तावेज में दर्ज पिता, पति के नाम में अन्तर है। अतः वादीगण के पिता, पति का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जेराम पि. पदमाराम के स्थान पर सेजाराम पि. पदमाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम हरिओमनगर के खसरा नम्बर 2514 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा की चालु जमाबन्दी में वादीगण के पिता, पति का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में जेराम पि. पदमाराम दर्ज है। जो गलत है, सही नाम सेजाराम पि. पदमाराम किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के इकबालिया जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वाद पत्र को बल मिलता है, वादीगण के वाद पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। मैंने पक्षकारान की बहस व पत्रावली का अध्ययन कर मनन किया, वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझता हूँ। अतः ग्राम हरिओमनगर पटवार हल्का एकलखोरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 2514 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता, पति का नाम जेराम पि. पदमाराम के स्थान पर सेजाराम पि. पदमाराम खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार ओसियां को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के पिता, पति का नाम जेराम पि. पदमाराम के स्थान पर सेजाराम पि. पदमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड शुद्ध किया जावें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय आज दिनांक 25\2\2020 को खुला न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner